<u>.. नस्ट्री सं. डी. एल.—33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 60] No. 60]

दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2008/चैत्र 22, 1930 DELHI, FRIDAY, APRIL11, 2008/CHAITRA 22, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 011 [N.C.T.D. No. 011

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सं. फा. 4/1/2006/एन.डी.एम.सी./6680.—नई दिल्ली नगर परिषद् के दिनांक 23 नवम्बर, 2005 के संकल्प संख्या 11(एफ-1) के अनुसार नई दिल्ली नगर परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 388 की उप-धारा (1) में "विविध मामलों से संबंधित जे-उपविधियां" शीर्षक के अंतर्गत नई दिल्ली नगर परिषद् द्वारा बनाई गयी (भवन तथा भवनों के अनुपस्थित स्वामियों के एजेंटों की नियुक्ति) उप-विधियां, 2008 नामक निम्नलिखित उप-विधियां पूर्व प्रकाशन के उपरान्त तथा उक्त अधिनियम की धारा 391 की अपेक्षा अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसके द्वारा आम जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है, अर्थात :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.-(1) इन उप-विधियों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (भूमि तथा भवनों के अनुपस्थित स्वामियों की एजेंटों की नियुक्ति) उपविधियां, 2008 कहा जा सकेगा ।
 - (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगी 🖰
- परिभाषाएं.-(1) इन उप-विधियों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक "अधिनियम" का अर्थ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) से है ।
- (2) इन उपविधियों में प्रयुक्त तथा अपरिपाषित शब्द तथा अभिव्यक्तियां, लेकिन अधिनियम में परिभाषित का अर्थ वही होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।
- 3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की भूमि तथा भवनों के अनिवासी स्वामियों द्वारा एजेण्टों की नियुक्ति.-नई दिल्ली स्थित मूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, जो अस्थायी रूप से वहां से अनुपस्थित है या इसमें नहीं रहता है । इसके बाद उल्लिखित मामले में नई दिल्ली या इसके निकट रह रहे किसी व्यक्ति को अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाई गई किन्हीं उप-विधियों के सभी या कुछ प्रयोजनों कं लिए अपना एजेण्ट नियुक्त करेगा ।

- 4. भूमि तथा भवनों के अनुपस्थित स्वामियों के लिये एजेण्टों की नियुक्ति.-अध्यक्ष, यदि यह समझते हैं कि नई दिल्ली के अन्दर स्थित किसी भूमि या भवन का स्वामी और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का साधारणत: निवासी है, वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उतनी अवधि के लिए स्वयं अनुपस्थित रहता हो जिससे नगर प्रशासन को असुविधा होती है, नोटिस से ऐसे स्वामी से पंद्रह दिन कं भीतर, इसके बाद उल्लिखित पद्धित से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्दर या निकट अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाई गई किन्हीं उप-विधियों के सभी या कुछ प्रयोजनों के लिये अपना एजेण्ट नियुक्त करना होगा ।
- 5. अध्यक्ष को एजेण्ट के नाम की सूचना किसी एजेण्ट की नियुक्ति के लिये.-प्रत्येक स्वामी, जो उप-विधि 3 द्वारा पाया गगा है या उप-विधि 4 के अंतर्गत नोटिस द्वारा अपेक्षित है वह ऐसे एजेण्ट का नाम और पता लिखित में अध्यक्ष को सूचित करेगा और जब ऐसे एजंण्ट ने कार्य करने के लिये अपनी इच्छा लिखित में अध्यक्ष को स्चित कर दी है तब स्वामी को उप-विधि 3 या उप-विधि 4 के उपबन्धों के अंतर्गत नोटिस का अनुपालन मान लिया जाएगा ।
- 6. एजेण्टों को नोटिस तामील करने संबंधी मुखिया का दायित्व. – अध्यक्ष उसके एजेण्ट के स्थान पर ऐसे मुख्य से नगर-पालिका का देय राशि के भुगतान की मांग पर अध्यक्ष उसके ऐसे एजेण्ट के उसके मुखिया पर या से नगरपालिका की देय राशि के भुगतान करने की मांग होने पर अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाई गई उप-विधियों के उपबंधों के अंतर्गत नोटिस तामील कर सकेंगे और इस संबंध में मुखिया का दायित्व होगा मानो उसे नोटिस तामील किया गया है या उससे राशि की मांग की गई है।



- 7. भूमि या भवन के अनुपस्थित स्वामी द्वारा एजेण्ट की नियुक्ति संबंधी विफलता पर अर्थ दण्ड.—नई दिल्ली के अन्दर स्थित भूमि या भवन का स्वामी जो उप-विधि 3 या उप-विधि 4 का अपेक्षानुसार एजेण्ट नियुक्त करने में विफल रहता है वह अर्थ दण्ड सिंहत दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है और निरन्तर विफलता रहने पर अतिरिक्त दण्ड सिंहत दण्डनीय होगा जो उस अविधि के दौरान के लिये प्रति बीस रुपये प्रतिदिन तक बढ़ सकता है जो ऐसी प्रथम विफलता के लिये दोष सिद्ध के उपरांत ऐसी विफलता बनी रहती है।
- F. No. 4/1/2006/NDMC/6680.—The following Byelaws entitled the New Delhi Municipal Council (Appointment of Agents of Absentee Owners of Lands and Buildings) Bye-Laws, 2008 made by the New Jelhi Municipal Council under the head "J-Bye-laws relating to miscellaneous matters" in sub-section (1) of Section 388 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), vide Council's Resolution No. 11(F-1) dated the 23rd November, 2005, after previous publication and with the prior approval of the Government of National Capital Territory of Delhi, as required under section 391 of the said Act, are hereby published for general information namely:—
- Short title and commencement.—(1) These Bye laws may be called the New Delhi Municipal Counc (Appointment of agents of absentee owners of lands ar buildings) Bye-laws, 2008.
- (2) They shall come into force with effect from t' date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. **Definitions.**—(1) In these bye-laws, unless to context otherwise requires, "Act" means the New De Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994).
- (2) Words and expressions used and not defined these bye-laws but defined in the Act shall have meanings assigned to them in the Act.
- 3. Appointment of agents by owners of lands buildings not resident in the National Capital Territor Delhi.—Every owner of land or building situ vad w New Delhi, who temporarily absents therefrom or

resident therein, shall appoint, in the matter hereinafter set forth, a person residing within or near New Delhi, to be his agent for all or any of the purposes of the Act or of any bye-laws made thereunder.

- 4. Absentee owner of land and building to appoint agent.—The chairperson, if he considers that the owner of any land or building situated within New Delhi and who is ordinarily resident of National Capital Territory of Delhi, abstains himself from National Capital Territory of Delhi to such an extent as to cause inconvenience to the municipal administration, may by notice, require such owner to appoint within fifteen days, in the manner hereinafter set forth, a person residing within or near National Capital Territory of Delhi to be his agent for all or any of the purposes of the Act or of any bye-laws made thereunder.
- 5. Intimation of the name of agent to the Chairperson.

 —Every owner, who is found by bye-law 3 or required by notice under bye-law 4 to appoint an agent, shall intimate to the Chairperson in writing the name and address of such agent, and when such agent has intimated to the Chairperson in writing his willingness to serve, the owner shall be deemed to have complied with the provisions of the Bye-law 3 or the notice under Bye-law 4.
- 6. Liability of principal on service of notice on the agent.—The Chairperson may serve a notice under the provisions of the Act or of any Bye-laws made thereunder upon, or demand payment of municipal dues from, such agent instead of, upon or from his principal and the principal shall thereupon become liable as if the notice has been served upon, or the demand made from, him personally.
- 7. Penalty for failure to appoint agent by absentee owner of land or building.—Any owner of land or building situated within New Delhi who fails to appoint an agent as required by Bye-law 3 or Bye-law 4 shall be punishable with a fine which may extend to five hundred rupees and in case of a continuing failure, with an additional fine which may extend to twenty rupees for everyday during which such failure continues after conviction for the first such failure.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R.P.S. BHATIA, Dy. Secy.